सत्य मार्ग की खोज, सीरीज़-19

नारी-सुरक्षा और इस्लाम

जमाअत इस्लामी हिन्द

दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, नई दिल्ली-110025

9650022638

www.islamsabkeliye.com

www.facebook.com/islamsabkeliyeofficial

नारी-सुरक्षा और इस्लाम

हमारे समाज में किसी बड़े अनर्थ के विरुद्ध उठनेवाली आवाज़ों में दो प्रमुख हैं—'भ्रष्टाचार' और 'नारी-असुरक्षा'। बल्कि ''नारी असुरक्षित है'' की आवाज़ सारी आवाज़ों से तेज़, सबसे ऊंची है। पूरे देश की व्याकुलता और पूरे समाज के ग्लानि और रोष के प्रदर्शन में जितनी-जितनी तेज़ी आती गई, नारी-सुरक्षा की स्थिति अत्यन्त दुखद तथा शर्मनाक रूप से उतनी-उतनी बिगड़ती गई।

वर्तमान स्थिति

देश के बुद्धिजीवी, समाजशास्त्री, समाज सुधारक, राजनेता, क़ानून बनाने वाले, क़ानून लागू करनेवाले, क़ानून के रक्षक, विद्वान आदि हर वर्ग के लोगों ने अपनी पूरी बुद्धि और शक्ति नारी-सुरक्षा में लगा दी। कोई कमी नहीं रख छोड़ी गई। नारी-स्वतंत्रता, लिंग समानता, नारी उन्नति का राष्ट्रव्यापी आन्दोलन (Feminist Movement) भी वह सब कुछ कर चुका जो वह कर सकता था। यह सब कुछ हुआ और बहुत कुछ हुआ लेकिन वर्तमान स्थिति यह रही कि 'मर्ज़ बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की'। हर क़ानून नाकाम हुआ, हर प्रयास असफल हुआ। नारी के सम्मान का रक्षक पुरुष उसके अपमान में आगे ही बढ़ता गया। नारी की इज़्ज़त-आबरू की हिफ़ाज़त करनेवाला मर्द उसकी इज़्ज़त-आबरू को रौंदने-कुचलने में दिलेर होता गया। नारी-जाति की मर्यादा की रक्षक पुरुष-जाति उसकी मर्यादा पर डाके डालने लगी। सारा विरोध व रोष-प्रदर्शन, सारे नारे और जुलूस-रैलियां एक तरफ़, और नारी-शोषण, नारी-उत्पीड़न, यौन-अपराध, अपहरण, बलात् दुष्कर्म, शारीरिक हिंसा, लैंगिक हिंसा, और अपमान की शिकार नारी एक तरफ़। यह है नारी-सुरक्षा की वर्तमान स्थिति जो हमारी मानवता, नैतिकता, प्रगति, शिक्षा, उन्नति और स्वाभिमान के साथ-साथ हमारे विवेक और संवेदनशीलता को भी चैलेंज कर रही है, चुनौती दे रही है।

चुनौती

क्या हम, हमारा समाज और हमारी सामूहिक व्यवस्था यह चुनौती लेने में सक्षम है? अब तक का अनुभव इस प्रश्न का उत्तर "नहीं" में देता है। लेकिन इस विडम्बना के बावजूद इसका उत्तर "हां" में भी है। हां! नारी का नारीत्व सुरक्षित किया जा सकता है, नारी का लैंगिक, सामाजिक, नैतिक एवं यौन-संबंधी तथा शारीरिक और आर्थिक सुरक्षा संभव है। इस्लाम इस चुनौती को लेने में पूरे आत्मविश्वास के साथ सक्षम है। क्योंकि यह प्रचलित अर्थों में मात्र आस्था, धारणा, पूजा-उपासना और कुछ रीतियों व संस्कारों का 'धर्म' नहीं है बल्कि एक ईश-सृजित, ईश-प्रदत्त संपूर्ण, समग्र व सर्वांगीण जीवन-व्यवस्था (दीन) है, जिसके दायरे (परिधि) में मानवजीवन का हर पहलू समेटा हुआ है। और नारी की मर्यादा, प्रतिभा, शील व नारीत्व की सुरक्षा तो इस जीवन-व्यवस्था में सर्वोपरि है। आइए देखें कि कैसे?

इस्लाम और नारी-सुरक्षा

किसी भी वस्तु की हैसियत, महत्व, स्थान और मूल्य का निर्धारण हो जाने के बाद ही उसकी सुरक्षा के सफल उपाय किए जा सकते हैं। नारी-सुरक्षा में पूर्वलिखित असफलता के अनेक कारणों का मूल कारण, इस निर्धारण में ग़लती व त्रुटि है। इसी त्रुटि की जड़ से वह त्रुटिपूर्ण वृक्ष संपन्न हुआ है जिसकी शाखें, टहनियां, पत्ते, फूल और फल दोषपूर्ण, रोगग्रस्त और विषाक्त हो गए हैं।

इस्लाम ने औरत के लिए (पुरुष से उसकी विभिन्न, विशिष्ट व उत्कृष्ट मानसिक, मनोवैज्ञानिक, लैंगिक व शारीरिक संरचना के आधार पर) पुरुषों से अधिक अधिकार और कम कर्तव्य निर्धारित किए हैं। पुरुष और स्त्री के कर्तव्य-क्षेत्र व कार्य-क्षेत्र के निर्धारण में इस प्राकृतिक तथ्य का पूरा-पूरा लिहाज़ रखा है कि स्त्री का शरीर कोमल होता है, उसकी हृदय-स्थिति में पुरुष से कहीं अधिक भावुकता होती है। उसका शील (Chastity) शीशे की तरह नाज़ुक होता है जो ज़रा-सी लापरवाही में टूट कर चकनाचूर हो जाता है। और पानी के बुलबुले की तरह अत्यन्त सूक्ष्म होता है कि ज़रा-सा

भी छेड़ देने पर टूट जाता है। मां के रूप में वह नौ महीने तक तथा फिर कई वर्षों तक ऐसी-ऐसी परिस्थितियों से गुज़रती है कि उनसे कोई पुरुष न गुज़र सकता है, न कभी गुज़रा है। मासिक धर्म की अवस्था में उसकी जो दशा होती है वह किसी पुरुष की न हो सकती है, न कभी हुई है। उसके सौंदर्य और यौवन में इतना आकर्षण, प्रलोभन व उत्तेजना है कि यदि उस पर हया का पहरा हर क्षण चौकस न रहे, तो शैतानी व राक्षसीय प्रवृत्ति के पुरुषों के अतिक्रमण से उसके शील व शरीर की रक्षा लगभग असंभव-सी हो जाती है।

कोई भी व्यक्ति, चाहे वह इस्लाम का अनुपालक व अनुयायी न भी हो, लेकिन विवेकशील, निष्ठावान, संवेदनशील, सत्यताप्रिय और पूर्वाग्रहरहित (Un-prejudiced) हो, तो वह नारी-जाति से संबंधित इस्लाम की उपरोक्त नीति से सहमत हुए बिना नहीं रह सकता। इस्लाम ने नारी-सुरक्षा के लिए जो अचूक उपाय तथा पूर्ण-सक्षम प्रावधान व प्रयोजन किए हैं, उन्हें सिर्फ़ इस पक्षपात् व दुर्भावनावश रद्द व तिरस्कृत नहीं कर सकता कि यह तो इस्लाम धर्म की बात है, पराए-धर्म की बात!

इस्लाम का पक्ष यह है कि— ● पुरुष और स्त्री बराबर (Equal) हैं, लेकिन समान (Similar) नहीं हैं। अतः न उनके कार्य-कर्तव्य समान होने चाहिए, न उनके दायित्व (Responsibilities), और न उनके कार्य-क्षेत्र। यह बात, जो एक प्राकृतिक सत्य है, हमारा समाज और नारी-हितैषी लोग स्वीकार कर लें, तो नारी-सुरक्षा का बन्द रास्ता खुल जाना अवश्यंभावी हो जाएगा। ● पुरुष और स्त्री के बीच इस्लाम ने 'महरम' और 'ना-महरम' की श्रेणियां बनाकर उनके आपसी मेल-जोल की सीमाएं और शर्तें निर्धारित कर दी हैं। इनका अनुपालन किया जाने लगे तो केवल इसी एक इस्लामी प्रयोजन से यौन-अपराधों का कमोबेश 90 प्रतिशत उन्मूलन स्वतः ही हो जाएगा। बिना पुलिस, अदालत के। ● इस्लाम ने सत्र (विशेष शरीरांगों को छिपाने) के अन्तर्गत पुरुष और विशेषतः स्त्री के लिए वस्त्र और वेष-भूषा के जो

उसूल तय किए हैं उन पर अमल करने से यौन-अपराधों में कमी का स्तर 95 प्रतिशत तक गिर जाएगा। ● इस्लाम ने स्त्री-पुरुष के बीच यौन-संबंध को सिर्फ़ विवाह (निकाह) तक (नैतिक व क़ानूनी स्तर पर) वैध रखा है। इस्लाम के इस प्रयोजन को स्वीकार और लागू कर दिया जाए तो नारी-यौन-शोषण के उन्मूलन का स्तर 98 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा। ● बलात्कारी की इस्लामी सज़ा का प्रावधान कर दिया जाए तो यह स्तर 99 प्रतिशत पहुंच जाएगा। ● एक प्रतिशत या इससे कुछ कम ही की संभावना फिर भी रह जाएगी, क्योंकि मनुष्यों का समाज कभी भी फ़रिश्तों का समाज नहीं बन सकता। ● नारी की सामाजिक सुरक्षा (Social Security)के लिए इस्लाम ने तदनुसार दाम्पत्य (Marital), पारिवारिक(Familial), सामाजिक (Societal) और व्यवस्थागत (Systemic) स्तर पर नैतिक प्रयोजन के साथ-साथ वैधानिक प्रावधान भी किए हैं, जो इस्लामी शरीअत में सुनिश्चित कर दिए गए हैं। इसी तरह औरत की आर्थिक सुरक्षा (Financial Security)के लिए इस्लाम ने उसके विवाह से पूर्व (या विधवा हो जाने अथवा तलाक़शुदा हो जाने पर) यथास्थिति उसके पिता या भाइयों या बेटों या मुस्लिम समाज या इस्लामी प्रशासन को ज़िम्मेदार बनाया है और दाम्पत्य काल में पूर्णरूप से उसके पति को। विवाह के समय उसे स्त्री धन (मह्र) दिया जाना अनिवार्य किया है। उसके पास कोई व्यक्तिगत धन-संपत्ति हो तो उस पर किसी का भी अधिकार नहीं है, यहां तक कि पति का भी नहीं और न ही किसी पर धन ख़र्च करना उसके कर्तव्यों में शामिल किया गया है। मृत पिता, माता और पति की धन-संपत्ति में उसे क़ानूनी हिस्सा दिया गया है। विधवा या तलाक़शुदा औरत की शील-सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्लाम ने बहुपत्नी-विवाह का प्रावधान किया, क्योंकि ऐसी महिलाओं से, कुंआरे पुरुष और युवक प्रायः विवाह नहीं करते अतः ऐसी महिलाओं को अन्योन्य क्षेत्रों में असुरक्षा तथा शोषण के ख़तरे घेरे रहते हैं।

सांसारिक प्रयोजनों से भी आगे

इस्लाम ने नारी-सुरक्षा के जितने सांसारिक प्रयोजन किए, सिर्फ़ उन्हें ही काफ़ी नहीं समझा बल्कि सबको परलोक-मुखी (Aakhirat oriented) बनाया और नारी-सुरक्षा की पूरी व्यवस्था को ईश-केन्द्रित (God-centric) रखा। उपदेश दिए गए, शिक्षाएं दी गईं, नियम व सिद्धांत दिए गए, क़ानून बनाए गए, क़ानून की रखवाली, निगरानी और कार्यान्वयन की व्यवस्था बनाई गई, अदालत और सज़ा का प्रकरण स्थापित किया गया, नारी की हैसियत तय की गई, उसके अधिकार, कर्तव्य, कार्य-क्षेत्र निर्धारित किए गए, महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) को शिक्षक, प्रशिक्षक, पथ-प्रदर्शक, एवं आदर्श स्वरूप नियुक्त किया गया, लेकिन साथ ही साथ एकेश्वरवाद की मूल-धारणा के साथ परलोकवाद की धारणा को भी संलग्न करके यह दृढ़ और अडिग विश्वास भी दिला दिया गया कि "देखो, और सचेत रहो! मामला बस इसी नश्वर, अस्थाई, भौतिक व सांसारिक जीवन तक ही नहीं है। नारी-सुरक्षा का हक़ पूरी तरह से (पुरुष और स्त्री दोनों ने अपना-अपना फ़र्ज़ अदा करके तथा अल्लाह व रसूल का आज्ञापालन करते हुए) अदा किया तो तुम्हारे लिए स्वर्ग में इसका प्रतिदान सुनिश्चित है। और अगर औरत की बहुमुखी सुरक्षा तथा अधिकार व मान-सम्मान देने में कमी की, डंडी मारी और इस जीवन में किसी तरह नुक़्सान व सज़ा आदि से बच भी गए—धन, धौंस, धांधली या शक्ति व सत्ता के चलते—तो पारलौकिक जीवन में नरक की यातना व प्रताड़ना तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।"

आह्वान

इस प्रिय देश के कर्णधारों तथा आम देशबंधुओं को इस्लाम का यह साफ़, स्पष्ट और खुला आह्वान है, नारी-जाति के हित में, और पूर्ण निष्ठा व दर्दमन्दी के साथ कि "लोगो! नारी जाति पर रहम करो, अपने और इस टूटते-बिखरते नैतिक मूल्यों से कराहते समाज पर तथा अपनी सामूहिक व्यवस्था (की बेबसी) पर, और 'नारी-सुरक्षा' के महत्वपूर्ण विषय एवं भयावह स्थिति के संबंध में इस्लाम की प्रभावकारिता व कल्याणकारिता पर गंभीरता व निष्ठा के साथ ग़ौर करो, फ़ैसला करो, आगे बढ़ो। ईश्वर तुम्हारा सहायक व सहयोगी होगा।",

---

(सल्ल॰) : सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अर्थात् उन पर अल्लाह की रहमत (दयालुता) और सलामती हो।